न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 64 / 2019 अन्तर्गत धारा 225 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. उदमी राम पुत्र श्योराम जाति गूर्जर निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:—— अपीलांट प्रार्थी

वनाम

1 प्रकाश पुत्र छंगाराम जाति गूर्जर निवासी शामदा तह0 मुण्डावर
2 राजेन्द्र पुत्र छंगाराम जाति गूर्जर निवासी शामदा तह0 मुण्डावर
3 अशोक पुत्र छंगाराम जाति गूर्जर निवासी शामदा तह0 मुण्डावर
4 किरण उर्फ मिंटू पुत्र प्रकाश जाति गूर्जर निवासी ग्राम शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
5 बनवारी पुत्र भगवाना जाति गूर्जर निवासी शामदा तह0 मुण्डावर
6 महेश पुत्र बनवारी जाति गूर्ज निवासी शामदा तह0 मुण्डावर
7 सत्यवीर उर्फ जलेसिंह पुत्र मुकेश जाति गूर्जर निवासी शामदा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:—— रेस्पो0 अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय उपखंड अधिकारी, मुण्डावर
दिनांक 17.6.2019

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री लक्ष्मण सिंह पोसवाल

2. वकील रेस्पो0 :– श्री मोहन सिंह नरूका

निर्णय

दिनांक 05.10.2021

1 यह अपील तहत अदालत उपखंड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 244/2018 अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 17.6.2019, जिसके द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने तहत अदालत में धारा 212 आर0 टी0 एक्ट का प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी हाल खसरा नम्बर 2029/114 रकबा 14.33 हेक्टेयर में 2/1415 भाग प्रार्थी की खातेदारी का है । उक्त आराजी में अन्य सह खातेदारान भी है, जो अपने अपने हिस्से पर काबिज है । अप्रार्थीगण का उक्त आराजी से कोई सम्बन्ध नहीं है । उक्त आराजी में प्रार्थी का 10/1415 भाग था, जिसमें से प्रार्थी द्वारा 8/1415 भाग जरिये दानपत्र स्कूल के नाम कर दिया तथा अव शेष 2/1415 भाग प्रार्थी के पास है । अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करेंगे और प्रार्थी को बेदखल करेंगे । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 17.6.2019 द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जिससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया है कि विवादित आराजी सह खातेदारी की है, जिसमें प्रार्थी अपीलांट का 10/1415 भाग खातेदारी में दर्ज था । प्रार्थी ने अपनी स्वेच्छा से बिना कोई प्रतिफल लिये 8/1415 भाग स्कूल को दान कर दिया । शेष 2/1415 भाग प्रार्थी अपीलांट के पास है । शेष 2/1415 भाग प्रार्थी अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है । प्रार्थी अपीलांट का कब्जा स्कूल भवन से सटता हुआ तरफ उत्तर की ओर है। जिससे स्पष्ट रूप से विवादित आराजी की पहचान हो रही है । जिसे तहत अदालत ने यह कह कर कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित आराजी का 14.33 हेक्टेयर का रकबा है, जिसका तितम्बा कटा हुआ नहीं है, इस बाबत प्रार्थी अपीलांट की ओर से दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य यथा शपथ पत्र आदि पेश नहीं किया है, प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है । क्योंकि प्रार्थी अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के साथ शपथ पत्र, जमाबन्दी, नक्शा आदि राजस्व रिकार्ड की नकलों व मौके की स्थिति के

अनुसार प्रार्थी अपीलांट का विवादित रकबा स्कूल भवन से लगता हुआ तरफ उत्तर की ओर है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना चाहिये था । प्रार्थी अपीलांट ने अपने रकबे में गुवाडा बना रखा है, पेड पौधे लगा रखे हैं तथा ईंधन,चारा आदि रखा हुआ है । इसलिये भी अपीलांट का कब्जा साबित है । विवादित भूमि से रेसपो0 का कोई लेना देना नहीं है । परन्तु तहत अदालत ने गौर नहीं किया और गलत तौर पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अतः निवेदन है कि अपील स्वीकार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 बी0 जे0 1995 (2) पेज 494 पेश की ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि विवादित आराजी में से होकर कदीमी रास्ता जा रहा है, जो मौके पर चालू है । रास्ते में हमारे 50 वर्षों से हित निहित है । प्रार्थी अपीलांट उक्त रास्ते को बंद कराना चाहता है । जबकि इसमें हमारे अलावा अन्य लोगों के भी हित निहित है । स्वयं प्रार्थी अपीलांट भी उक्त रास्ते से आवागमन करता है । सुखाधिकार के तहत उक्त रास्ते के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती । तहत अदालत ने सही तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अतः अपील खारिज की जावे ।

5 जवाब बहस में विद्वान वकील अपीलांट का पुनः कहना है कि अगर रेस्पो0 विवादित आराजी को रास्ता मानते हैं तो इसके लिये इनको धारा 251 ए आर0 टी0 एक्ट के तहत चाराजोही करनी चाहिये । विवादित भूमि का मैं काबिज खातेदार हूं । इसलिये धारा 212 के तीनों तत्व मेरे पक्ष में साबित है ।

6 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । विवादित भूमि की बाबत पक्षकारान के टाईटल का निर्णय मूल वाद में होना है । हम यहां अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण का निस्तारण कर रहे है, जिसके निस्तारण हेतु धारा 212 आर0 टी0 एक्ट के तीनों आवश्यक तत्वों को देखना होता है । तहत पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर कदीमी रास्ता है । उक्त रास्ते से स्वयं प्रार्थी, अप्रार्थी एवं अन्य लोगों द्वारा आवागमन करना बताया गया है । जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 2029/114 रकबा 14.33 हेक्टेयर में प्रार्थी अपीलांट का 2/1415 भाग है । इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित भूमि का रकबा बहुत बडा है, जिसमें बिना विभाजन के यह नहीं कहा जा सकता कि प्रार्थी अपीलांट का हिस्सा किस दिशा

अथवा स्थान पर है अर्थात जहां पर रास्ता चालू है, वो भू भाग प्रार्थी अपीलांट का ही है । मौके पर कदीमी रास्ता चालू है । जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का तात्पर्य होगा---- लोगों के सुखाधिकार का हनन करना । इस प्रकार प्रार्थी अपीलांट का प्रथमदृष्टतया प्रकरण सावित नहीं है । जैसा कि उपर विवेचना की जा चुकी है कि विवादित आराजी का रकवा बहुत बडा है, राजस्व रेकार्ड में तितम्बा कटा हुआ नहीं है, जिसके अभाव में नहीं कहा जा सकता कि जहां पर रास्ता चालू है, वह भू भाग प्रार्थी अपीलांट के कब्जे का है । इस प्रकार स्पष्ट है कि रास्ता चालू रहने से प्रार्थी अपीलांट को किसी प्रकार की नापूर्तिजनक हानि होना सावित नहीं होती है । यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो इससे अप्रार्थीगण को ही नहीं, बल्कि अन्य लोगों को भी असुविधा होगी । इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में सावित नहीं है । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में धारा 212 के तीनों विन्दू प्रार्थी अपीलांट के पक्ष में सावित नहीं है । लिहाजा हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं ।

7 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाकर तहत अदालत का निर्णय दिनांक 17.6.2019 यथावत रखा जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी,अलवर